न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या: 27 / 2019
निर्णय दिनांक: 27.12.2023

1. राकेश पुत्र स्वर्गीय जीवण
2. छीतरमल पुत्र स्वर्गीय जीवण
3. देवीनारायण पुत्र बालूराम
4. औंकार पुत्र बालूराम
5. मेवा पुत्र बालूराम
6. रोहित पुत्र स्व0 प्रभू
7. पारा पुत्री प्रभू नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सायर देवी पत्नी स्व0 प्रभू
8. सुनिता पुत्री प्रभू नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सायर देवी पत्नी स्व0 प्रभू
9. अनिता पुत्री प्रभू नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सायर देवी पत्नी स्व0 प्रभू
10. सायर देवी पत्नी स्व0 प्रभू

समस्त जातियान जाट, निवासीयान गणपतपुरा कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीराम पुत्र ग्यारसीलाल
2. रामेश्वर पुत्र ग्यारसीलाल,
3. सुण्डाराम पुत्र ग्यारसीलाल
4. औंकार मल पुत्र ग्यारसीलाल
5. रामनारायण पुत्र हरनाथ
6. कानाराम पुत्र हरनाथ

समस्त जातियान जाट, निवासीयान गणपतपुरा सिराणी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

7. कमल किशोर बैद पुत्र श्री केसरी चन्द बैद, जाति जैन, निवासी के–18, दुर्गादास पथ, मालवीय नगर, सी–स्कीम, जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:55:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र बाबत सीमाज्ञान एवं [illegible]

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 45 के खसरा नम्बर 261 रकबा 1.39 है0, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.55 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.94 है0 व खाता संख्या 44 के खसरा नम्बर 258 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 259 रकबा 1.60 है0, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.46 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 3.77

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

है0 वाके ग्राम सुरतपुरा उर्फ हरिनारायणपुरा, पटवार हल्का कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का श्रीमान तहसीलदार (अप्रार्थी संख्या 8) के आदेश क्रमांक/एल.आर./19/283–285 दिनांक 09.05.2019 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 13.05.2019 को करवाया सीमाज्ञान के अनुसार जिसके अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त है परन्तु प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264 की भूमि के पूर्वी तरफ पडौस के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि जिनके खसरा नम्बर 1 लगायत 5, 102 लगायत 104, 105/1349, 108, 167/1317, 168/1351, 182, 267, 301 व 306 व अप्रार्थी संख्या 7 की भूमि खसरा नम्बर 181, 1432/179 व 1433/180 वाके ग्राम सिराणी मय गणपतपुरा, पटवार हल्का भापुरा स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 तथा उनके प्रतिनिधि आये दिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि में दखल अन्दाजी करते रहते है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की सही प्रकार से देखभाल करने में असमर्थ रहते है। प्रार्थीगण की भूमि के बाकी हिस्से में तो पुख्ता सीमा कायम कर रखी है लेकिन खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264 के पूर्वी तरफ की ओर पुख्ता सीमाबन्दी करवाकर पशुओं इत्यादि से सुरक्षा करना चाहते है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व्यवधान कारित करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा में घुसपैठ करते रहते है इस कारण प्रार्थीगण को उक्त भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हुआ है जिससे भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद पडौसी काश्तकारों से न रहे। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व उसके प्रतिनिधियों की हरकतों से परेशान हो गया है तथा आगे विवाद से बचने के लिए तथा आगे भी भविष्य में कोई विवाद न हो इस कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के अभिलेखित खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.05.2019 के आधार पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या 45 के खसरा नम्बर 261, 262 व खाता संख्या 44 के खसरा नम्बर 263, 264 वाके ग्राम सुरतपुरा उर्फ हरिनारायणपुरा, पटवार हल्का कलवाडा, तहसील सांगानेर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 20.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अलम में लाई गई। दिनांक 06.10.2022 को अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर उसके जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया गया। दिनांक 06.10.2023 को अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not
Digitally signed by
Date: 2024.02.02
Reason: SelfAttes

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान नियमानुसार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 261, खसरा नम्बर 262, खसरा नम्बर 263 व खसरा

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

नम्बर 264 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखना उनका विधिक अधिकार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहा है जिसका उनको पूर्ण अधिकार है, प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है और उसी सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहा है जो विधि अनुकूल एवं न्यायोचित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 261, खसरा नम्बर 262, खसरा नम्बर 263 व खसरा नम्बर 264 ग्राम सुरतपुरा उर्फ हरिनारायणपुरा, पटवार हल्का कलवाडा, तहसील सांगानेर की फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 13.05.2019 के अनुसार के अनुसार स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verifie

Digitally signed by Mahipa
Date: 2024.02.02 10:55:2
Reason: SelfAttested